मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक /बी-6-21/10/14-2 दिनांक 3/6/2013

प्रति,

कलेक्टर,
जिला .... समस्त

विषयः— **कृषि विकास सुधार कार्यक्रम (आत्मा) के अंतर्गत सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार हेतु पुनरिक्षित मार्गदर्शी निर्देश संबंधी।**

संदर्भः— **शासन का पत्र क्र. बी–6/21/10/14–2 दिनांक 25.11.2010**

उपरोक्त विषयानतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा विस्तार सुधार कार्यक्रम "आत्मा" के अंतर्गत विभिन्न पुरस्कारों हेतु मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये थे। विभिन्न स्तर के पुरस्कार हेतु भारत सरकार से प्रत्येक वर्ष निम्नानुसार लक्ष्य प्राप्त होते है :—

स.क्र.	विवरण	राशि	संख्या
1.	विकासखण्ड स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार (बी–7) (प्रत्येक विकासखण्ड से एक कृषक)	रू. 10,000/–	313
2.	जिला स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार (ए–7–बी)	रू. 25,000/–	50
3.	राज्य स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार (ए–7–ए)	रू. 50,000/–	10
4.	सर्वोत्तम आत्मा जिला पुरस्कार (ए–6)	रू. 1,00,000/–	01
5.	जिला स्तरीय सर्वोत्तम कृषक समूह पुरस्कार (बी–6)	रू. 20,000/–	50

2. प्रत्येक वर्ष पुरस्कार हेतु कृषकों द्वारा अपनाई गई कृषि तकनीकि, उपज एवं उत्पादकता के आधार पर निम्न प्रक्रिया के तहत उपरोक्त पुरस्कार प्रदान किये जावेंगे।

3. विकासखण्ड स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार :—

प्रत्येक जिले के परियोजना संचालक "आत्मा" संलग्न प्रपत्र–1 में इच्छुक कृषकों से पुरस्कार हेतु बंद लिफाफे में प्राविष्टि प्राप्त कर परीक्षण हेतु निम्नानुसार गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगेः—

1.	जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष गर्वनिंग बोर्ड	अध्यक्ष
2.	परियोजना संचालक (आत्मा)	सदस्य सचिव
3.	उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं रेशम पालन विभागों के जिला प्रमुख/प्रतिनिधि	सदस्य
4.	कृषि विज्ञान केन्द्र के इन्चार्ज/विज्ञानिक प्रतिनिधि	सदस्य

उपरोक्त समिति प्रत्येक विकासखण्ड के लिये प्राप्त विभिन्न प्रविष्टियों का तुलनात्मक पत्रक विकास खण्डवार तैयार करवाएगी जिसका मूल्यांकन, परिशिष्टि–1 के साथ संलग्न मूल्यांकन पत्रक अनुसार किया जावेगा। समिति जिले के प्रत्येक विकासखण्ड हेतु सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले कृषक का चयन पुरस्कार हेतु करेगी।

कृषकों से प्रविष्टि प्राप्त करने हेतु परियोजना संचालक पर्याप्त प्रचार–प्रसार करेंगे जिससे अधिकाधिक कृषक आवेदन कर सकें। कृषको को आवेदन पत्र विकासखण्ड मुख्यालय (वरिष्ठ कृषि विकास

अधिकारी कार्यालय) से प्रदान किये जाकर यथा संभव निष्पक्ष रूप से उन्हें प्रपत्र भने में सहायता की जावेगी।

4. **जिला/राज्य स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार**

जिला स्तरीय पुरस्कार जिले मे सर्वाधिक अंक प्राप्त कृषक को प्रदाय किया जावेगा। यदि उस कृषक का चयन राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिये किया जाता है, तो द्वितीय स्थान सर्वाधिक अंक पाने वाले कृषक को उक्त पुरस्कार प्रदाय किया जावेगा। सभी जिला कलेक्टर, जिले के अतिर्गत पुरस्कार हेतु कृषकों का मूल्यांकन पत्रक एवं कार्यवाही विवरण तथा सर्वाधिक अंक प्राप्त चयनित सर्वोत्तम कृषक की प्रविष्टि की मूल प्रति राज्य स्तर पर निम्नानुसार गठित समिति के सदस्य सचिव को भेजें एवं छाया प्रति "आत्मा" कार्यालय में संधारित करें।

1.	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	अध्यक्ष
2.	संबंधित उप सचिव, म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	सदस्य
3.	संचालक,उद्यानिकी/पशुपालन/कृषि अभियांत्रिकी/मत्स्यपालन/रेशमपालन उनके प्रतिनिधि जोकि (कम से कम वर्ग–1 का अधिकारी) को सदस्य	सदस्य
4.	प्रदेश के दोनों कृषि विश्वविद्यालय के नामांकित प्रतिनिधि जो प्राध्यापक स्तर से कम न हो।	सदस्य
5.	संचालक, राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
6.	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की राज्य स्तरीय आत्मा सेल के संयुक्त/उप संचालक	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति राज्य स्तर पर प्राप्त समस्त 313 विकासखण्डों के सर्वोत्तम कृषकों की प्रविष्टियों के आधार पर तुलनात्मक पत्रक बनाकर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रथम 10 कृषकों को राज्य स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार हेतु चयन करेगी। राज्य स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार प्राप्त कृषक चयन के पश्चात जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त कृषक का चयन स्वतः ही जिला स्तरीय पुरस्कार हेतु चयनित माना जावेगा, इसकी सूचना कलेक्टर सह अध्यक्ष गर्वनिंग बोर्ड चयनित कृषक को पुरस्कार की राशि एवं प्रमाण–पत्र निर्धारित दिनांक को प्रदान कर सकें।

5. **सर्वोत्तम आत्मा जिला पुरस्कार**

पूर्व में जारी मार्गदर्शी निर्देश के परिशिष्ट–2 अनुसार समस्त जिला कलेक्टर प्रत्येक वर्ष उनके जिले की जानकारी भर कर राज्य स्तरीय समिति को भेजेंगे। समिति द्वारा प्राप्त प्रविष्टियों के गहन परीक्षण उपरांत सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले जिले को सर्वोत्तम आत्मा जिले के रूप में चयन किया जावेगा। किन्तु एक बार पुरूस्कार प्राप्त करने वाला जिला आगामी तीन वर्षों तक उक्त पुरूस्कार प्राप्त करने के लिये मान्य नहीं किया जायेगा ।

6. **सर्वोत्तम कृषक समूह पुरस्कार**

जिला स्तरीय चयन समिति जिले में योजनान्तर्गत गठित समूहों से पूर्व में जारी मार्गदर्शी निर्देश के परिशिष्ट–3 में उल्लेखित अनुसार प्रविष्टियां प्राप्त कर उनके परीक्षण उपरांत एक समूह को जिला स्तरीय कृषक समूह पुरस्कार हेतु चिन्हित करेगी।

सभी प्रकार के पुरस्कारों के लिये मूल्यांकन का आधार संबंधित पूर्व में जारी मार्गदर्शी निर्देश के परिशिष्ट में दिया गया है। सभी जिला कलेक्टर इस संबंध में निम्न कार्यक्रम अनुसार कार्यवाहियां सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रत्येक वर्ष पुरस्कार हेतु कृषकों के चयन की कार्यवाही हेतु निर्धारित तिथियां :–

1.	पुरस्कार हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार (माध्यम– विज्ञप्ति, पम्फलेट, लीफलेट, प्रशिक्षण, भ्रमण कार्यक्रम, ग्रा.कृ.वि.अधि.)	30 अप्रैल
2.	प्रविष्टियां आमंत्रित करना	15 मई
3.	सर्वोत्तम कृषक चयन	15 जून
4.	प्रविष्टियां राज्य स्तर पर पहुंचाना	30 जून
5.	राज्य स्तर पर परीक्षण एवं चयन	31 जुलाई
6.	जिला स्तरीय पुरस्कार हेतु सर्वोत्तम 10 जिलों को चयनित कृषक का विवरण भेजा जाना	31 अगस्त
7.	पूरे प्रदेश में एक साथ पुरस्कार वितरण	26 जनवरी

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शी तरीके से पुरस्कारों हेतु प्रक्रिया पूर्ण की जावें।

(बी.एस.धुर्वे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांकः बी-6-21/10/14-2　　　　भोपाल, दिनांकः– 3/6/2013

प्रतिलिपिः– **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1. स्टॉफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, म0प्र0शासन,भोपाल।
2. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास/पशुपालन/उद्यानिकी/मत्स्य पालन/ कृषि अभियांत्रिकी/रेशम पालन।
3. संचालक, विस्तार सेवाएं, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर/राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर।
4. श्री ––––––––––––––––– उप सचिव, म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. संचालक, राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरखेड़ीकला–भोपाल।
6. आदेश नस्ती ।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

AWARD